भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1215

(सोमवार, 27 जुलाई, 2026/5 श्रावण, 1948 (शक) को उत्तर के लिए)

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता की कमी

1215. श्री बाबू सिंह कुशवाहाः
श्री नीरज मौर्यः
श्री लालजी वर्माः
श्री देवेश शाक्यः
श्री हरेन्द्र सिंह मलिकः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के बावजूद, देश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के एटा, कासगंज और जौनपुर लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता की अभी भी कमी है, जिसके कारण लोग अभी भी पोंजी योजनाओं और वित्तीय धोखाधड़ी में अपनी गाड़ी कमाई गंवा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ख) क्या निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) प्राधिकरण द्वारा उपयोग की जा रही निधि और इसके विरुद्ध निवेशकों को प्राप्त हुए वास्तविक लाभों के संबंध में कोई स्वतंत्र लेखापरीक्षा कराई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन कंपनियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का कोई प्रावधान किए जाने की संभावना है जो जानबूझकर दावों में देरी करती हैं और दावों में हस्ताक्षर के मिलान न होने या अन्य छोटी-मोटी कमियों जैसी अनावश्यक तकनीकी त्रुटियां निकालकर निवेशकों को परेशान करती हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का मृतक निवेशकों के कानूनी वारिसों के लिए दावे दाखिल करने और उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कोई विशेष राहत योजना लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**?**

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): वित्तीय साक्षरता में सुधार एक सतत प्रक्रिया है। विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (आईईपीएफई) द्वारा सुरक्षित निवेश, वित्तीय धोखाधड़ी की रोकथाम, पॉन्जी स्कीमों तथा अनियमित निक्षेप

स्कीमों के संबंध में जागरूकता सृजित करने के लिए व्यावसायिक निकायों, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) तथा अन्य हितधारकों के सहयोग से निवेशक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

ये कार्यक्रम एटा, कासगंज तथा जौनपुर लोक सभा जिलों सहित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं। जागरूकता सामग्री का प्रसार डिजिटल मंचों, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के द्वारा भी किया जाता है।

(ख): इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (आईपीपीबी) के सहयोग से तथा भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान (आईसीएआई) की वित्तीय बाजार एवं निवेशक जागरूकता समिति द्वारा उसके कार्यक्रम आयोजन इकाइयों (पीओयूएस) के माध्यम से आयोजित निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों के निगरानी तथा मूल्यांकन प्रक्रिया के भाग के रूप में प्राप्त परिणामों का प्रभाव आकलन तैयार किया जाता है। शिविरों में भाग लेने वाले लगभग 98 प्रतिशत प्रतिभागियों ने इन्हें अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की दृष्टि से उपयोगी तथा प्रासंगिक पाया।

(ग): दावों के प्रस्तुत किए जाने तथा उनके सत्यापन से संबंधित उपबंध विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 द्वारा विनियमित हैं। विनिधानकर्ता शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखापरीक्षा, अंतरण और प्रतिदाय) नियम, 2016 के नियम 7 के उप-नियम (3) में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित उपबंध है–

"परंतु यह भी कि इन नियमों के अनुसार दावे की सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने पर कंपनी तथा उसका नोडल अधिकारी अधिनियम के उपबंधों के अनुसार दंडनीय होंगे।"

(घ): आईईपीएफए ने 9 सितंबर, 2024 की अधिसूचना के माध्यम से राजस्व प्राधिकारियों द्वारा जारी विधिक उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र के आधार पर विधिक उत्तराधिकारियों को प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए दावा प्रक्रिया को सरल बनाया है। प्रतिभूतियों के अंतरण से संबंधित ऐसे मामलों में, जिनमें दावे का मूल्य भौतिक रूप में धारित प्रतिभूतियों के लिए प्रति जारीकर्ता कंपनी 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है तथा विमूर्त रूप में धारित प्रतिभूतियों के लिए 15 लाख रुपए से अधिक नहीं है, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं है, बशर्ते कि दावेदार नियमों के उपबंधों के अनुसार अन्य विहित दस्तावेज प्रस्तुत करे।
